निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 877) पटना, वृहस्पतिवार, 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई, 2026

सं० वि०स०वि०-34/2026-3383/वि०स०।—''**बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026**'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

पूनम सिन्हा,

प्रभारी सचिव ।

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-31/2026]

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 को संशोधन करने हेतु विधेयक।

प्रस्तावना :— जबकि, सरकार और/अथवा ट्रस्ट (न्यास) अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थाओं में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा योजना, प्रबंधन कार्यक्रम के परम्परागत और नवीन विधाओं को संचालित एवं संबद्धता प्रदान करने तथा शिक्षण, अनुसंधान के प्रसार एवं उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तथा इससे जुड़े अथवा इसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिए भी बिहार राज्य में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित एवं सम्मिलित करने के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 पारित किया गया था।

अब, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा—11(5) के आलोक में नियुक्त कुलपति तीन वर्षों की पदावधि के पश्चात् ''कुलाधिपति, उनसे उस अवधि तक, जो कुल **एक वर्ष से अनधिक** उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे,'' के स्थान पर ''कुलाधिपति, उनसे उस अवधि तक, जो कुल **तीन वर्ष से अनधिक** उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे,'' का प्रावधान किये जाने हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा—11(5) में संशोधन करने की आवश्यकता है।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित् रूप से यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :—

(1) इस अधिनियम को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम— 2021 की धारा 11(5) का प्रतिस्थापन।— बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा— 11(5) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु कुलाधिपति, कुलपति की पदावधि की समाप्ति के पश्चात् उस अवधि तक, जो कुल **तीन वर्ष से अनधिक** उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे :

परन्तु यह भी कि कुलपति के पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा पचहत्तर वर्ष होगी।"

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव ।

उद्देश्य एवं हेतु

सरकार और/अथवा ट्रस्ट (न्यास) अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थाओं में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा योजना, प्रबंधन कार्यक्रम के परम्परागत और नवीन विधाओं को संचालित एवं संबद्धता प्रदान करने तथा शिक्षण, अनुसंधान के प्रसार एवं उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तथा इससे जुड़े अथवा इसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिए भी बिहार राज्य में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित एवं सम्मिलित करने के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 पारित किया गया था।

अब, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा–11(5) के आलोक में नियुक्त कुलपति तीन वर्षों की पदावधि के पश्चात् ''कुलाधिपति, उनसे उस अवधि तक, जो कुल **एक वर्ष से अनधिक** उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे,'' के स्थान पर ''कुलाधिपति, उनसे उस अवधि तक, जो कुल **तीन वर्ष से अनधिक** उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे,'' का प्रावधान किये जाने हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा–11(5) में संशोधन करने की आवश्यकता है।

अतः इस उद्देश्य से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा–11(5) में संशोधन किया जाना है, इस हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित कराना इसका मुख्य अभीष्ट है।

(शीला कुमारी)
भार–साधक सदस्य ।

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

पटना,
दिनांक-22.07.2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 877-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in